न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 32/2023
अनवान : –

1. सावित्री पत्नी बलराम जाति सुथार निवासी मलवानी तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. चन्द्रभान पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 13/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 93/69 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि सायला के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 144/115 की कुल 1.2900 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 93/69 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि में जाने हेतु कोई भी रास्ता स्वीकृत नही है आवागमन हेतु कोई रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को भारी परेशानी हो रही है। सायल गांव से चलकर स्वीकृत शुदा रास्ता से होते हुए गैरसायल की भूमि के प0न0 322/361 (377) के किला न0 8/1 की 0.0010 हैक्ट गै0मु0 रास्ता व किला न0 8/2 की 0.2520 हैक्ट के मिन पश्चिम की 0.012 हैक्ट भूमि में दक्षिण से उत्तर चलकर अपने खेत के प0न0 322/361(377) के किला न0 13 में पंहुचता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 144/115 के प0न0 322/361(377) किला न0 8/2 की 0.2520 हैक्ट भूमि के मिन पश्चिम की 0.012 हैक्ट भूमि में उत्तर से दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जावे। उक्त रास्ता के बदले की भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज की जावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने सहमति प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 144/115 के प0न0 322/361(377) किला न0 8/2 की 0.2520 हैक्ट भूमि के मिन पश्चिम की 0.012 हैक्ट भूमि उत्तर से दक्षिण में रास्ता के लिए मैने सावित्री प्रार्थीया को दे दी है [illegible] मैने नगद राशि प्राप्त कर ली है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 93/69 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि में जाने हेतु कोई भी रास्ता स्वीकृत नही है इसलिए प्रार्थीया रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 144/115 के प0न0 322/361(377) किला न0 8/2 की 0.2520 हैक्ट भूमि के मिन पश्चिम की 0.012 हैक्ट भूमि उत्तर से दक्षिण में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। अप्रार्थी स0 1 द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 93/69 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि सायला के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 144/115 की कुल 1.2900 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदार भूमि में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने सहमति प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 144/115 के प0न0 322/361(377) किला न0 8/2 की 0.2520 हैक्ट भूमि के मिन पश्चिम की 0.012 हैक्ट भूमि उत्तर से दक्षिण में रास्ता के लिए मैने सावित्री प्रार्थीया को दे दी है एवं उक्त भूमि के एवज में मैने नगद राशि प्राप्त कर ली है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 144/115 के प0न0 322/361(377) किला न0 8/2 की 0.2520 हैक्ट भूमि के मिन पश्चिम की 0.012 हैक्ट भूमि में दक्षिण से उत्तर दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर / रास्ता / 2025 / 531 दिनांकः—13/05/25

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :— स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0—32 / 2023 निर्णय दिनांक 13/05/2025।

प्रकरण संख्या — 32 / 2023
अनवान : —

1. सावित्री पत्नी बलराम जाति सुथार निवासी मलवानी तहसील नोहर।

—**प्रार्थी**

बनाम्

1. चन्द्रभान पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— **अप्रार्थीगण**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 32 / 2023 अनवान सावित्री बनाम चन्द्रभान आदि में निर्णयं दिनांक 13/05/2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 144 / 115 के प0न0 322 / 361(377) किला न0 8 / 2 की 0.2520 हैक्ट भूमि के मिन पश्चिम की 0.012 हैक्ट भूमि में दक्षिण से उत्तर दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:31 IST
Reason: SelfAttested